न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्याः–109/2018
पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई.ए.एस.
राजेश शर्मा उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 10, बॉदीकुई जिला दौसा –अपीलांट

बनाम

राज0 सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, दौसा –रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी,
दौसा दिनांकः 30.10.2017

उपस्थितः1.श्री संजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपी0 पक्ष
2.श्री योगेश मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 23.04.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, दौसा ने दिनांकः **30.10.2017** को अपीलांट उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए समस्त प्रतिभूमि राशि जब्त सरकार करने के आदेश प्रदान कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई/सबूत का अवसर दिये बिना ही अपीलांट एफपीएस डीलकर का लाईसेंस निरस्त कर दिया गया। अपीलांट के विरुद्ध लगाये गये आरोप कतई असत्य है। अपीलांट को निर्णय करने से पूर्व ना तो कोई नोटिस जारी किया ना ही कोई सुनवाई व सूत का मौका ही दिया गया। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर ही निर्णय करना चाहिए। अपीलांट काफी समय से बीमार चल रहा था इस संबंध में अपीलांट द्वारा जिला रसद अधिकारी को सूचित भी कर दिया गया था। अपीलांट नियमित रुप से राशन वितरण करता आ रहा है तथा आज तक प्रार्थी अपीलांट के विरुद्ध कोई शिकायत भी नहीं है। इसके बावजूद मनमाने तरीके से प्रार्थी का लाईसेंस निरस्त कर दिया गया। अपीलांट को निर्णय की सूचना दिनांक 29.01.2018 को सर्व प्रथम हुई तत्पश्चात नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाकर दिनांक 07.02.2018 को नकल मिलने पर कानून की जानकारी नहीं होने पर देरी से दफा–5 का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट मियाद के अंदर मानी जाकर अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, दौसा का निर्णय दिनांक 30.10.2017 निरस्त फरमावें।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि प्रर्वतन निरीक्षक बॉदीकुई द्वारा उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 10 बॉदीकुई राजेश शर्मा का दिनांक 16.01.2017 को निरीक्षण करने पर दुकान बंद पाई गई व उपभोक्ता राशन प्राप्ति के लिए इंतजार करते हुए पाए गए जिनसे पूछने पर उन्होनें राशन की दुकान ढेड माह से बंद होना बताया। राशन सामग्री उपभोक्ताओं को नहीं मिलने के कारण अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अपीलांट को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया किंतु अपीलांट उपस्थित नहीं हुआ । इसलिए डीलर के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही करते हुए डीलर की जमा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए लाईसेंस निरस्त किया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितता की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवकलोकन से प्रकट होता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, बॉदीकुई द्वारा दिनांक 16.01.2017 को डीलर की दुकान ढेड माह (एक माह पन्द्रह दिन) बंद होने की शिकायत करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा डीलर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जारी प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक के लिए निलंबित किया कर कारण बताओं नोटिस दिनांक 19.01.017 को जारी किया गया। साथ ही अस्थाई अैचमेंट किया गया। डीलर को जारी उक्त नोटिस की पुश्त पर तामिल कुनिंदा ने डीलर की दुकान बंद होना व घर पर पता करने पर घरवालों ने जयपुर इलाज के लिए जाना अंकित किया जाकर असल नोटिस वापिस भिजवा दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 13.04.2017 को डीलर को अन्तिम नोटिस जरिये रजिस्टर्ड जारी करने के आदेश दिये गये। जिसके संदर्भ में जारी नोटिस दिनांक 13.04.2017 को भिजवाया जाकर आ0ता0पे0 दिनांक 24.04.2017 निश्चित की गई। उक्त जारी रजिस्टर्ड लिफाफे पर प्रार्थी के पिता का नाम व पूरा पता नहीं होने के कारण वापिस ही दिनांक 14.06. 2017को डाक विभाग द्वारा वापिस कर दिया गया। दिनांक 24.04.2017 से 25.05.2017 व 25.05.17 से दिनांक 07.06.2017 नियत की जाकर पुनः जरिये रजिस्टर्ड तामिल के आदेश जारी किये जाकर दिनांक 04.07.17 नियत की गई। 04.07.17 से 24.07.17, 30.08.17, 26.09.17 नियत की गई और दिनांक 30.10.2017 को डीलर को अनुपस्थित बताया जाकर इक तरफा कार्यवाही करते हुए डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि डीलर को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और न ही डीलर की कोई जॉच की गई केवल उसकी दुकान ढेड माह बंद होने के आधार पर ही बिना कोई जॉच किये बिना ही डीलर की अनुपस्थिति में बिना किसी ठोस कारण के प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। डीलर द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में प्राधिकार पत्र की छाया प्रति, डाक विभाग की रसीद दिनांक 13.12.16, 13.01.2017 की छाया प्रति व मेडिकल प्रमाण–पत्र ऑफ सिकनेस दिनांक 23.02.2017 की छाया प्रतियॉ पेश की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डीलर का बीमार होने से इंकार नहीं किया जा सकता। डीलर द्वारा रसद विभाग को सूचना भी भेजी गई हैं। लेकिन रसद विभाग द्वारा बिना किसी जॉच के डीलर का इकतरफा लाईसेंस निलम्बित किया जाना न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होता है। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के साथ फर्द मौका अवश्य लग रहा है किंतु उन्होनें मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं के बयान नहीं लिये जबकि ऐसे प्रकरण में मौके पर उपस्थित लोगों के प्रमाण आवश्यक है। सभी को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है, इसलिए इस प्रकरण में जो बात निकलकर आई है मुख्यतः अपीलांट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया जो न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में न्याय एवं दण्ड के संतुलन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आदेश की पालना की जाना आवश्यक प्रतीत होने से व न्याय एवं दण्ड के संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए इसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक समझतें हुए यह स्पष्ट होता है कि डीलर द्वारा की गई अनियमितता की एवज में भारी दण्ड दिया गया है। जिसे संतुलित किया जाना आवश्यक है। अतः न्याय होता भी दिखना चाहिए के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए व गुणावगुण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाते हुए तत्समय अनुपस्थित रहने के वक्त के डीलर की जॉच कराई जावें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। डीलर का लाईसेंस बहाल करने के आदेश दिये जाते है और तत्समय की विस्तृत जॉच करवाई जावें एवं तदनुरुप कार्यवाही की जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 23 अप्रेल, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा